राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः– एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019 जयपुर, दिनांक : 28 MAY 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाओं के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 07.03.2019, 04.06.2019 एवं 27.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 (अनुसूची–I। के पैरा 22 से 24) में दिये गये प्रावधानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवस्था उपलब्ध कराने का दायित्व कार्यकारी ऐजेन्सी का हैं। प्रासंगिक पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1के पैरा 19 के अनुसार 8 घंटे की अवधि मय 1 घंटे का विश्रामकाल निर्धारित है। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि **"यदि कोई श्रमिक/श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत कार्यस्थल छोड सकता है। अर्थात यदि किसी श्रमिक के द्वारा निर्धारित टास्क 5 घण्टे की कार्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाता है तो अनाश्यक रूप से कार्यस्थल पर ना रोका जावे।"**
2. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पंचायत में भामाशाह के माध्यम से छांछ, केरी की छांछ, नींबू पानी एवं शरबत आदि की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जावे।
3. कार्यस्थल पर विश्राम हेतु शैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
4. कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स में इलेक्टॉल/ग्लूकोस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानुसार कार्यस्थलों पर समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं कोविड–19 हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर
9. सहायक निदेशक (आईईसी), महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय।
10. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
11. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

Scanned with CamScanner